भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2722
(05 अगस्त,2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पारदर्शिता

2722. श्री राजेश रंजन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में पारदर्शिता की कमी के कारण भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या लाभार्थियों के नामांकन के लिए रिश्वत और कमीशन मांगने के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने आधुनिक युग में योजनाओं के उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कोई योजना बनाई है या बना रही है; और

(घ) उक्त योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के उद्देश्य को पूरा करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की जा सके।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन रुपरेखा (एफएफआई) के अनुसार, प्रशासन के विभिन्न स्तरों, जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य, पर एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार का एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर

नियुक्त अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के अलावा , जनता द्वारा केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कराने की एक प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सीपीजीआरएएमएस या अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को शिकायत निवारण हेतु अग्रेषित किया जाता है। इसके अलावा , राज्य स्तर पर शिकायत निवारण के लिए आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएँ भी मौजूद हैं।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए , लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली /प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से निर्माण से जुड़ी किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते/डाकघर खाते में सहायता प्रदान की जाती है। मकान के निर्माण के प्रत्येक निश्चित चरण पर , लाभार्थी के साथ आवास की जियो -टैग्ड और टाइम स्टैम्पड तस्वीरें ली जाती है।

दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से 31 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल (pgportal.gov.in) के माध्यम से मंत्रालय में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अनियमितताओं और निधियों के दुरुपयोग से संबंधित जनता की 2,486 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2,445 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।

(ग): कार्यक्रम का कार्यान्वयन और निगरानी आवास सॉफ्ट और आवास ऐप का उपयोग करते हुए एक संपूर्ण ई -गवर्नेंस मॉडल के माध्यम से की जाती है। आवास सॉफ्ट एक वर्कफ़्लो-सक्षम, वेब-आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से पीएमएवाई-जी के सभी महत्वपूर्ण कार्य , लाभार्थी की पहचान से लेकर निर्माण संबंधी सहायता (पीएफएमएस के माध्यम से) प्रदान करने तक , किए जाते हैं ; आवास ऐप, एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिसका उपयोग आवास की दिनांक और समय वाली तथा जियो -टैग्ड तस्वीरों के माध्यम से आवास निर्माण की वास्तविक समय , साक्ष्य-आधारित प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्माण के दौरान यथासंभव 10% आवासों का निरीक्षण करना चाहिए और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्माण के दौरान 2% आवासों का निरीक्षण करना चाहिए।

i. समर्पित डैशबोर्ड, पीएमएवाई-जी योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह डैशबोर्ड कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है जिसमें पूरे वास्तविक और वित्तीय प्रगति का एकल स्क्रीन विज़ुअलाइज़ेशन और राज्य स्तर की रिपोर्टें शामिल होती हैं , जिन्हें किस्तों की रिलीज़ में अंतर /विलंब, घर निर्माण की गति, आयु-वार, श्रेणी-वार डेटा विश्लेषण करके विसंगतियों, असमानताओं, असामान्यताओं आदि का पता लगाने के लिए ब्लॉक स्तर पर विस्तृत किया जा सकता है। यह व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के साथ निकट समन्वय में गतिशील और अनुकूलन योग्य डेटा विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग करके स्वीकृति और पूर्णता प्रगति के रुझान विश्लेषण को भी दर्शाता है।

ii. मनरेगा में इस्तेमाल किया जा रहा एरिया ऑफिसर ऐप , पीएमएवाई-जी के तहत भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर पीएमएवाई-जी की प्रगति पर नज़र रखने और विश्लेषण का आसान दस्तावेज़ीकरण करने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों की निगरानी की जा सके। इस ऐप का इस्तेमाल पीएमएवाई -जी के तहत बनाए गए आवासों की गुणवत्ता की जाँच के लिए किया जा रहा है।

iii. शिकायत निवारण की मौजूदा व्यवस्था के अलावा , पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और निर्णय पारित करने के लिए मनरेगा के तहत नियुक्त लोकपाल और राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण की सेवाएं भी ली गई हैं।

iv. दिशानिर्देशों में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) को भी अनिवार्य बनाया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक सतर्कता और सत्यापन शामिल है और इसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना है , जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल है।

v. कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी न केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है , बल्कि सामुदायिक भागीदारी (सामाजिक लेखा परीक्षा), संसद सदस्यों (दिशा समिति), केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं आदि के माध्यम से भी की जाती है।

(घ) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)-2011 के अंतर्गत निर्धारित आवास वंचन मानकों और बहिर्वेशित मानदंडों, संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा विधिवत सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित है। पीएमएवाई -जी के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता की

पहचान के लिए इन मानकों /मानदंडों को एसईसीसी 2011 डेटाबेस और आवास +2018 पर लागू किया गया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएवाई-जी को 5 और वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) के लिए बढ़ाने हेतु मंज़ूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने संशोधित बहिर्वेशित मानदंडों का उपयोग करते हुए आवास + 2018 सूची को अद्यतन करने को भी मंज़ूरी दे दी है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार , आवासों की पहचान से लेकर निर्माण पूरा होने तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता को अधिकतम करने और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रौद्योगिकी -आधारित समाधानों का उपयोग करके एक नया सर्वेक्षण कर रहे हैं:

i. आवास+ 2024 ऐप- प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक अनूठा ऐप है, जिसमें पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षकों के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण , आवास प्रौद्योगिकी चयन , चेहरा प्रमाणीकरण , आधार आधारित ई -केवाईसी, आवासों का डेटा संग्रह , मौजूदा आवासों की स्थिति , टाइम-स्टैम्पड और प्रस्तावित निर्माण स्थल की जियो -टैग की गई तस्वीर जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। यह ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करता है। पीएमएवाई-जी के अगले चरण (2024-29) के लिए आवास +2024 ऐप सर्वेक्षण में पात्र परिवारों के लिए "स्व-सर्वेक्षण" सुविधा उपलब्ध है।

ii. धोखाधड़ी गतिविधि को रोकने और संभावित कदाचार की जानकारी प्रदान करने के लिए एआई/एमएल मॉडल का उपयोग.

iii. अनुशंसा प्रणाली - यह मॉड्यूल एक पूर्ण आवास की अपलोड की गई तस्वीरों में पक्की दीवार, पक्की छत, कच्ची दीवार, कच्ची छत, लोगो, खिड़की, दरवाजा और व्यक्ति जैसी विभिन्न आवास विशेषताओं की पहचान करता है और अनुमोदन के लिए परिपूर्ण तस्वीर की सिफारिश करता है।

iv. ई-केवाईसी ऐप - यह ऐप आधार के साथ एकीकृत है और पीएमएवाई -जी लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए एआई -सक्षम फेस प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करता है।

v. जीवंतता पहचान: लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास ऐप में आई ब्लिंक /मोशन डिटेक्शन सुविधा।

vi. 100% आधार-आधारित भुगतान: लाभार्थियों के खातों में सीधे अंतरण।

****